राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 28 नवम्बर, 1990 को दोपहर 12.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत :-

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. एस. एन. सक्सेना {अध्यक्ष}
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सुधीर वर्मा
4. श्री सी. एस. राजन
5. डा. जी. एस. शेखावत
6. डा. आचार्यहरेश सी. सांवरिया
7. डा. बी. एल. बसेर
8. श्री रघुवीर सिंह कौशल
9. डा. पी. आर. जटकर
10. डा. के. बी. शर्मा
11. डा. वी. बी. सिंह
12. श्री टी. पंत
13. डा. के. के. जैन
14. श्री सुनील धारीवाल {सदस्य सचिव}

डा. पाण्डे बी. बी. लाल, श्री राम गोपाल चौधरी, डा. टी. पी. ओझा, शिक्षा सचिव, बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके ।

बैठक की कार्य सूचि पर विचार प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति महोदय ने सदस्यों को विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का संक्षिप्त व्यौरा प्रस्तुत किया ।

राकृवि/प्रबो-18/90-4/249 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 6.8.90 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :

अ) मद संख्या राकृवि/प्रबो-17/90-3/246 जिसमें वर्णित है कि मद संख्या 239 में निर्णित हो चुका है को पुनः स्पष्ट उल्लेखित करे कि निर्णय केवल स्टेट्यूट 12 चयन समितियों एवं प्रक्रिया के लिए ही किया गया था अन्य स्टेट्यूट हेतु निर्णित नहीं था ।

......2

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/250	दिनांक 8.8.90 की बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ) कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/राजाउ/कृ/90/723-88 दिनांक 17.11.90 की भाषा में औन और आफ्टर शब्द भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत होता है अतः उक्त शब्द को विलोपित कर संशोधित आदेश प्रसारित किये जाये ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/251	कुलपति महोदय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को निम्न संस्तुति के साथ आलोकित किया जाय ।

आदेश क्रमांक एफ 62/सीपीएस./राजाउ/आर/बी/स्थापना/ग्रुप-1/90/3386-405 दिनांक 6.11.90 अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति के संबंध में है कुछ माननीय सदस्यों की संस्तुति थी कि अधिष्ठाता छात्र कल्याण का मुख्यालय उदयपुर में होता तो अधिक उचित रहता । कुलपति महोदय ने बताया कि छात्र अधिष्ठाता का पद विश्वविद्यालय स्तर पर स्थानीय सहायक अधिष्ठाता से अस्थाई तौर पर बिना वित्तिय भार के भरा गया हैं ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/252	दिनांक 27.11.90 को आयोजित स्थापना समिति की बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार किया गया ।

मद वार विस्तृत विचार के बाद निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत को अनुमोदित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-18/ 90-4/253	चिकित्सा पुनर्भरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के आवेदन पर विचार किया गया ।

अ) श्री एच.सी.के. माथुर

ब) डा. जी. डी. शर्मा

स) श्री तारा चन्द

......3.

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :

अ) डा. एच. सी. के. माथुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि श्री माथुर से बकाया राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज के वसूल करने की कार्यवाही की जावे । तथा महालेखाकार दल द्वारा पेरा 37 द्वारा बताई गई अधिक भुगतान राशि रू. 10,060/- की वसूली की जाय । श्री माथुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जावे ।

ब) डा. जी. डी. शर्मा व (स) तारा चन्द के आवेदन को निरस्त किया जाय ।

यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यालय में लम्बित सभी आवेदनों का परीक्षण कर, केवल उन आवेदनों को जिनमें नियमों की क्रियान्विती करने के कारण किसी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों का शिकार होना पड़ गया हो, सम्पूर्ण तथ्यों सहित स्थापना समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-18/90-4/254 अधिष्ठाता परिषद् की बैठकें दिनांक 2.2.90, 21-22 मार्च, 90 व 14 जून, 90 के कार्यवृत को मण्डल की पूर्व बैठक की मद संख्या 227 व 247 के संदर्भ में पुनः रखे जाने पर विचार किया गया ।

विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि :

अ) दिनांक 2.2.90 की बैठक की मद संख्या 5(3) के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि संचार मुद्रणालय से अनापत्ति प्राप्त कर ही अन्य मुद्रणालय से मुद्रण कार्य करवाया जाये । साथ ही यह भी संस्तुति की गई कि अत्यावश्यक कार्य, परिस्थितियों तथा वित्तिय भार को देखते हुए एक निश्चित सीमा तक कार्य बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भी अन्य मुद्रणालय से करवाया जा सकता है । सीमा का निर्धारण निदेशक विस्तार जो कि संचार मुद्रणालय का कार्यदेख रहे हैं के साथ विचार विमर्श कर किया जावे ।

......4

ब) मद संख्या 8 कर्मचारियों को अनाज खरीदने हेतु अग्रिम ऋण प्रदान करने हेतु विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष मई माह में अनाज खरीदने हेतु अग्रिम राशि के भुगतान के स्थाई आदेश जारी कर दिये जाय । भविष्य में यदि राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित आदेश जारी कर दिये जाये । किसी वर्ष यदि राज्य सरकार द्वारा यह अग्रिम भुगतान न करने का निर्णय लिया जाता है तब इन स्थायी आदेश की जगह भुगतान न करने का आदेश समय पर जारी किया जाय ।

दिनांक 21-22 मार्च, 90 की अधिष्ठाता परिषद् की बैठक के कार्यवृत पर कोई निर्णय नहीं लिया गया केवल मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

दिनांक 14.6.90 की अधिष्ठाता परिषद् की बैठक में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मेन्यूअल के निर्माण हेतु क्रमश: 200/-रू. व 100/-रू. शिक्षक को भुगतान करने के कुलपति महोदय के निर्णय की पुष्टि की गई ।

अ) मद संख्या 4 साधारण बैठकों में दोपहर के भोजन हेतु 20/-रू. प्रति व्यक्ति खर्च करने पर व महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भाग ली जाने वाली बैठक में 35/-रू. प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई । जलपान आदि पर दोनों ही तरह की बैठकों में 4/-रू. प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किये जाने की अनुमति प्रदान की गई । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कुल खर्च का 20 प्रतिशत सहयोगी कर्मचारियों के लिए खर्च किया जा सकेगा । अधिष्ठाता/निदेशक को यह खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया ।

ब) मद संख्या 5-1 दूरभाष के व्यय में मितव्ययता का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

दूरभाष पर होने वाले व्यय को कम करने पर विचार करते समय यह निर्णय लिया गया कि जिन अधिकारियों के पास

......5